



डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/2018/6621

दिनांक : 17-04-2018

अति आवश्यक

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,

समस्त नर्सिंग कालेज (सम्बद्ध) डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

विषय: नर्सिंग संकाय से सम्बन्धित संचालित किये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में आगामी शैक्षिक सत्र 2018-19 से छात्र/छात्राओं के प्रवेश न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय/महोदया,

कृपया आपके महाविद्यालय/संस्थान में संचालित किये जा रहे नर्सिंग संकाय के सम्बन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में आगामी सत्र 2018-19 से छात्र/छात्राओं से प्रवेश न किये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं निम्नवत् हैं-

1. आपके महाविद्यालय/संस्थान में संचालित किये जा रहे सम्बन्धित नर्सिंग पाठ्यक्रम की सम्बद्धता विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त/प्रतिबन्ध के अन्तर्गत प्रदान की गयी है कि प्रत्येक वर्ष आई०एन०सी०, नई दिल्ली में सम्बन्धित पाठ्यक्रम के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम को आई०एन०सी० नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष हेतु दिये गये नवीनीकरण पत्र के विश्वविद्यालय में प्राप्त/प्रस्तुत किये जाने पर ही आगामी सत्र में किये गये प्रवेश मान्य होंगे।

2. जिस शैक्षिक सत्र हेतु आई०एन०सी० नई दिल्ली द्वारा सम्बन्धित नर्सिंग पाठ्यक्रम की मान्यता/स्वीकृत/नवीनीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा उस शैक्षिक सत्र में महाविद्यालय द्वारा किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रवेशित छात्र/छात्राओं की परीक्षा किसी भी दशा में नहीं करायेगा।

संज्ञान में आया है कि आई०एन०सी० में सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की मान्यता/नवीनीकरण के आवेदन हेतु सम्बन्धित वेबसाइट अपरिहार्य कारणों से बन्द है। ऐसी स्थिति में यदि आपके महाविद्यालय संस्थान में संचालित किये जा रहे नर्सिंग संकाय के पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण आई०एन०सी० से प्राप्त नहीं होता है, तो आपको सूचित किया जाता है कि जब तक आई०एन०सी० एवं शासन से कोई नीतिगत निर्णय/शासनादेश विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सम्बन्धित नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेंगे। यदि आप द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में जिनका आई०एन०सी० द्वारा नवीनीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और उन पाठ्यक्रमों में आप द्वारा छात्र/छात्राओं के प्रवेश किये जाते हैं तो वह प्रवेश पूर्णतया अमान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रवेशित छात्र/छात्राओं की परीक्षा किसी दशा में नहीं करायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

कृपया सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा० (विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त नर्सिंग महाविद्यालयों के कालेज लाग-इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

17.4.18
डा० (विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव